

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
प० खरे प्रसाद विपिनबिहारी महाविद्यालय
कौह, अमौली,
फतेहपुर।

पत्रांक- शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- 366 / 3135-38/2012-13 दिनांक: 5-9-12
विषय- निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के
अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 154/2012 दिनांक 04.09.2012 के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक
बी०टी०सी०/अनु०-366/2007-10/2012-13 दिनांक 18.07.2012 के अनुक्रम में निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम
के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के
प्रोवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में
योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्या पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन
स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. श्री संजय कुमार राय

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष

समस्त अनुमोदित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र एवं जाति
प्रमाण-पत्रों का उनके मूल अभिलेखों से सत्यापन कर प्रत्येक के सम्बन्ध में अपना शपथपत्र इस कार्यालय की
यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

700-5-9-12

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद

पृ०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- 366 / /2012-13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर
स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, फतेहपुर।

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।